

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रीति अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

सूचना नम्बर:-162/2018 प्रार्थना पत्र

श्री अशोक कुमार पिता मोहन लाल कोठारी, आयु बालिग, निवासी काशीपुरी-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम श्री मिठू सिंह पिता मांगी लाल बोला, उम्र बालिग निवासी- हनुमान जी की टंकी के पास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रार्थी

श्री प्रेमशंकर पिता, मांगीलाल बोला उम्र बालिग निवासी- हनुमान जी की टंकी के पास, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री मोहन पिता प्रताप बोला, उम्र बालिग निवासी-हनुमानजी की टंकी के पास बजरंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री मूलचन्द्र पिता राधेश्याम समदानी, उम्र बालिग निवासी-हनुमान जी की टंकी के पास बजरंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री लाल पिता प्यारा बोला, उम्र बालिग निवासी-हनुमान जी की टंकी के पास बजरंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री हरलाल, पिता नाथू बोला उम्र बालिग निवासी- हनुमान जी की टंकी के पास बजरंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री सोहन लाल पिता छोगा सुथार उम्र बालिग निवासी- पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री गोविन्द कुमार पिता शंकर मोची आयु बालिग निवासी- पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8348, 8349, 8350, 8351 कुल 4 रकबा 6 बिस्वा, भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.6.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7, के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। प्रार्थी को शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को तलबी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 8 का नाम डिलीट किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र दिनांक 24.8.18 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी। न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.8.2018 स्वीकार किया गया, तथा प्रार्थना पत्र में अंकित विपक्षी संख्या 8 का नाम डिलीट

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया। विपक्षी संख्या 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 6.2.2019 को पारित किया गया।

बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8348, 8349, 8350, 8351 कुल 4 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पुर को 700/-रूपये (सात सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को बालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

